

भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4381
बुधवार, 20 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

लू के कारण जनहानि और स्वास्थ्य संबंधी संकट

4381. डॉ. आनन्द कुमार गोंडः

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार देश के कई स्थानों पर लू चलने के कारण हुई जनहानि और स्वास्थ्य संबंधी संकट से अवगत है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लू चलने की घटनाओं को प्राकृतिक आपदा घोषित करने का विचार है ताकि राहत और पुनर्वास योजनाओं को उक्त अधिनियम के दायरे में लाया जा सके और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार किए जाने की संभावना है; और
- (घ) क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को लू कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए कोई तकनीकी या वित्तीय सहायता प्रदान की है और यदि हाँ, तो राज्य-वार तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

- (क) जी हाँ। वर्ष 2018-2022 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार हीट/सन स्ट्रोक के कारण हुई मौतों का नवीनतम डेटा, जैसा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड व्यूरो (NCRB), गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा प्रदान किया गया है, अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

असामान्य तापमान की घटनाएँ मानव शरीर पर गंभीर शारीरिक तनाव डाल सकती हैं, क्योंकि शरीर सामान्य तापमान सीमा में ही सबसे बेहतर ढंग से कार्य करता है। मानव मृत्यु दर और थर्मल स्ट्रेस के बीच एक स्पष्ट संबंध है। असामान्य रूप से गर्मी वाले समय के दौरान, विभिन्न कारणों से होने वाली मौतों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, तथा अन्य लोगों की तुलना में बुजुर्गों को अधिक जोखिम होता है।

अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने से होने वाले चार सामान्य स्वास्थ्य प्रभावों में निर्जलीकरण, ऐंठन, थकावट और हीटस्ट्रोक शामिल हैं। यह भी पता चला है कि उच्च तापमान के कारण भोजन के खराब होने और उसके शेल्फ लाइफ घटने के कारण एक्यूट गैस्ट्रोएंट्राइटिस और फूड प्वॉइंजनिंग के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। अत्यधिक तापमान वृद्धि से जुड़ी चिंता, घबराहट, बेचैनी और व्यवहार परिवर्तन के मामलों में भी वृद्धि हुई है। अधिकांश पीड़ितों में कृषि मजदूर, तटीय समुदाय के निवासी और गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग थे, जिनका अधिकांश व्यवसाय बाहरी था।

- (ख)-(ग) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के पास सहायता हेतु राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) और राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) के माध्यम से संसाधन उपलब्ध हैं। यदि राज्यों की ओर से वित्तीय सहायता का अनुरोध होता है, तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) के लिए प्रासंगिक दिशानिर्देश अनुसार उस पर विचार करती है।

वर्तमान में, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) / राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) सहायता के लिए पात्र आपदाओं की अधिसूचित सूची में 12 आपदाएं शामिल हैं, नामतः चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट हमले, और पाला और शीत लहर। आपदाओं की मौजूदा अधिसूचित सूची में और अधिक आपदाओं को शामिल करने के मुद्दे पर 15वें वित्त आयोग ने विचार किया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 8.143 में पाया था कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया शमन कोष (SDRMF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया शमन कोष (NDRMF) से वित्त पोषण के लिए पात्र अधिसूचित आपदाओं की सूची काफी हद तक राज्य की जरूरतों को पूरा करती है और इसलिए इसके दायरे का विस्तार करने के अनुरोध में ज्यादा औचित्य नहीं पाया गया।

तथापि, राज्य सरकार, कुछ निर्धारित शर्तों और मानदंडों की पूर्ति के अध्यधीन, SDRF के वार्षिक निधि आवंटन के 10% तक का उपयोग उन प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए कर सकती है, जिन्हें वे राज्य में स्थानीय संदर्भ में 'आपदा' मानते हैं और जो प्राकृतिक आपदाओं की केंद्रीय अधिसूचित सूची में शामिल नहीं हैं।

(घ) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय देशभर में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को समान रूप से कार्यान्वित करता है; इसलिए, धन का आवंटन राज्यवार नहीं होता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से राज्य सरकारों को सीधे धनराशि जारी नहीं की जाती है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए देश भर के विभिन्न अनसंधान केंद्रों के साथ मिलकर पहल की हैं। इन प्रयासों ने मौसम की चरम घटनाओं, जैसे कि लू के दौरान जानमाल का नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें शामिल हैं:

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से, लू की स्थिति से प्रभावित होने वाले 23 राज्यों में हीट एक्शन प्लान (HAPs) को संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया गया।
- मौसमी और मासिक आउटलुक जारी करना, उसके बाद तापमान और लू का व्यापक पूर्वानुमान जारी करना। जनता तक समय पर सूचना पहुंचाने के लिए प्रारंभिक चेतावनी और पूर्वानुमान जानकारी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भी प्रसारित की जाती है।
- भारत में जिलावार हीटवेव सुभेद्र्यता एटलस, राज्य सरकार के अधिकारियों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों की योजना बनाने में मदद करेगा
- भारत के गर्म मौसम के खतरे के विश्लेषण मानवित्र में तापमान, हवापैटर्न और आर्द्धता स्तर पर दैनिक डेटा शामिल हैं।
- गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय हीटवेव तैयारी बैठकों की एक शृंखला आयोजित की जाती है, तथा मौसम के दौरान नियमित समीक्षा बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाती हैं।

मौसम संबंधी जानकारी सभी हितधारकों, जिसमें केंद्र सरकार के मंत्रालय, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय हैं, को प्रदान की जाती है। चेतावनियों और समय पर अलर्ट प्रसारित करने के लिए भी आईएमडीएनडीएमएद्वारा विकसित कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल (सीएपी) लागू कर रहा है।

आईएमडी ने तेरह सबसे भयानक मौसमी घटनाओं के लिए एक वेब-आधारित ऑनलाइन "क्लाइमेट हैजर्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया" भी तैयार किया है, जिनसे व्यापक क्षति और आर्थिक, मानवीय और पशु हानि होती है। इसे <https://imdpune.gov.in/hazardatlas/abouthazard.html> पर देखा जा सकता है। इस एटलस से राज्य सरकार के अधिकारियों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को हॉटस्पॉट की पहचान

करने और मौसम की चरम घटनाओं से निपटने, योजना बनाने और उचित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। यह उत्पाद जलवायु परिवर्तन हेतु सुदृढ़ अवसंरचना के निर्माण में सहायक है। इसके अलावा, भारत मौसम विभाग मौसम संबंधी जानकारी जनता को विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रदान करता है:

- जनसंचार माध्यम: रेडियो/टीवी, समाचार पत्र नेटवर्क (एएम, एफएम, सामुदायिक रेडियो, निजी टीवी), प्रसार भारती और निजी प्रसारणकर्ता
- साप्ताहिक और दैनिक मौसम वीडियो
- इंटरनेट (ईमेल), एफटीपी
- सार्वजनिक वेबसाइट (mausam.imd.gov.in)
- आईएमडी ऐप्स: मौसम/मेघदूत/दामिनी/वर्षा अलार्म
- सोशल मीडिया: फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, ब्लॉग
 - i. एक्स: <https://twitter.com/Indiametdept>
 - ii. फेसबुक: <https://www.facebook.com/India.Meteorological.Department/>
 - iii. ब्लॉग: <https://imdweather1875.wordpress.com/>
 - iv. इंस्टाग्राम: https://www.instagram.com/mausam_nwfc
 - v. यूट्यूब: https://www.youtube.com/channel/UC_qxTReoq07UVARm87CuyQw

2018-2022 के दौरान हीट/सन स्ट्रोक के कारण होने वाली मौतों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार

विवरण:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018	2019	2020	2021	2022
1	आंध्र प्रदेश	97	128	50	22	47
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
3	असम	0	3	0	0	1
4	बिहार	64	215	53	57	78
5	छत्तीसगढ़	1	16	3	2	11
6	गोवा	0	0	0	0	0
7	गुजरात	31	27	12	8	5
8	हरियाणा	56	46	23	14	27
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	1	0
10	झारखण्ड	42	88	23	33	47
11	कर्नाटक	0	4	1	0	2
12	केरल	1	3	0	0	0
13	मध्य प्रदेश	15	33	7	2	27
14	महाराष्ट्र	128	159	56	37	90
15	मणिपुर	0	0	0	0	0
16	मेघालय	4	0	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0
18	नगालैंड	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	40	84	13	15	38
20	पंजाब	38	90	110	91	130
21	राजस्थान	43	54	23	1	12
22	सिक्किम	0	1	0	0	0
23	तमिलनाडु	0	0	0	2	2
24	तेलंगाना	107	156	98	43	62
25	त्रिपुरा	1	1	2	0	2
26	उत्तर प्रदेश	176	117	50	35	130
27	उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	46	49	6	11	18
	कुल राज्य	890	1274	530	374	729
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
31	डी एंड एन हवेली और दमन और दीव @ +	0	0	0	0	0
32	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0	0	1
33	जम्मू एवं कश्मीर@*	0	0	0	0	0
34	लद्दाख @	-	-	0	0	0
35	लक्ष्द्वीप	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	0
	कुल - संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0	0	1
	कुल - (अखिल भारतीय)	890	1274	530	374	730

स्रोत: राज्य, भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार '+' 2018 और 2019 के दौरान पूर्ववर्ती दादरा एवं नगर एवं हवेली तथा दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेशों का संयुक्त डेटा; '**'

2018 और 2019 के दौरान लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य का डेटा; '@' नव निर्मित केंद्र शासित प्रदेश का आंकड़ा।
